

वन कर्मियों पर
हमला करने वाले
पंच आरोपी घरे

कलौपुर। वहाँ पवित्र वन प्रभाग रायपुर के वनकर्मियों पर हमला करने वाले तीन रातों-रातों सशस्त्र पंच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 20 मार्च को एमडीओ घनैश जैसी ने लखीर भईये थी। इसमें बताया

था कि आरोपित वन क्षेत्र लुटेराणा खला में वन कर्मियों ने आकाशे कर्म से आंच डाली और सत्कारी रातों को लुटेराणा कर दिया था। 14 नवम्बर को 15-20 अन्य के विरुद्ध विभिन्न खलाओं में केस दर्ज किया गया था। संजय

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, आयुध निर्माणी रायपुर, देहरादून

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA, OFD RAIPUR, DEHRADUN

पत्रांक: एफ.पंजीकरण/कवि/ओ.एफ.डी/2024-25

दिनांक: 24.03.2025

सेवा एवं सामान आपूर्ति हेतु फर्म/व्यवसाय/व्यवसाय संघ के पंजीकरण हेतु विज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2025-26

वित्तीय वर्ष के लिए विद्यालय में निम्नांकित सेवा एवं सामान आपूर्ति के लिए सेवा एवं वस्तुकर (GST) में पंजीकरण प्रतिष्ठित फर्मों से फर्म के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं	विवरण	क्र.सं	विवरण
1	Consumable/Non consumable items of Sports.	10	Prizes & Gifts Items.
2	Furniture items as per specification & design.	11	School Canteen (Only firm registered in Food Safety & Standard Act-2006 of Uttarakhand may apply)
3	Civil work items for maintenance & repair, Petty Construction, white wash material and sanitary fitting etc.	12	Air Conditioner, Water cooler, Refrigerator supply & AMC
4	Computer cartridge, Antivirus & batteries for on line UPS etc.	13	Sanitation Items.
5	Printing Items etc.	14	Hiring of Dress Materials
6	Stationary items.	15	Complete sound & electrical set-up for special occasion
7	Tent Items, led Lights, Music Systems & LED Screen	16	Consumable/Non-consumable items of Sciece Lab
8	AMC computer, Networking & CCTV	17	Transport
9	Electric Fitting Article etc		

नोट:- फर्म/व्यवसाय/व्यवसाय संघ के पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र विद्यालय की वेबसाइट <https://dehradunoef.kvs.ac.in> पर उपलब्ध है। भरे हुए आवेदन प्रपत्र फर्म के पंजीकरण/पैनकार्ड/ आयकर/ विगत तीन वर्षों की कारोबारी क्षमता संबंधी संयापित दस्तावेज सहित केवल डाक द्वारा ही प्रकाशित होने के 20 दिनों के अन्दर ही स्वीकार किये जायेंगे। प्राचार्य के पास सवार्धिकार सुरक्षित है कि वे किसी भी शर्त को कम कर सकते हैं अथवा बढ़ा सकते हैं। विद्यालय में पंजीकरण करवाने वाली फर्म को निविदा आमंत्रित करने अथवा आपूर्ति आदेश जारी करने हेतु किसी प्रकार का आश्वासन न समझा जायं।